

बिहार विधान सभा के चालू सत्र के लिए तारांकित प्रश्न

<p>श्री आनन्दी प्रसाद यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक -30.11.2012 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-पुन-1 के संबंध में।</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>(क) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के सिकरी प्रखण्ड में बकरा नदी के कटाव से पीड़ित पचास परिवार तीन वर्षों से तीराहाट पर अस्थायी निवास बना लिया है,</p>	<p>आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विगत वर्षों में मात्र 22 परिवार विस्थापित हुए थे, जिसमें तीराहाट पर मात्र 10 परिवार अस्थायी रूप से निवास करता है । अन्य अपने जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं ।</p>
<p>(ख) यदि हाँ तो इन विस्थापित परिवारों को सरकार पुनर्वासित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?</p>	<p>उक्त 10(दस) विस्थापित परिवारों के लिए तीराहाट के सटे खाता सं0-392, खेसरा सं0-617, रकवा-19 एकड़ 23 डी0, जो बिहार सरकार की गैर मजरूआ आम भूमि है, में से बन्दोबस्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है एवं बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जा रही है ।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

पत्रांक -04 / वि0स0ता0प्र0-122 / 2012 / / आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -6145 दि0-26.11.2012 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

पत्रांक -04 / वि0स0ता0प्र0-122 / 2012 / 4983 / आ0प्र0, पटना-15, दि0-17.12.12

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


 17.12.12
 सरकार के अवर सचिव